376

II/निग०/रीवा/भू.व्य०/2018/02357

484

न्यायालय श्रीमान म0प्र0 राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर कैम्प कोर्ट रीवा जिला रीवा म0प्र0

विलोपित/विलोपित विलोपित/विलोपित

शिवमूरत जायसवाल आत्मज धर्मदास जायसवाल, उम्र 45 वर्ष, पेशा कृषिकार्य, निवासी गहिलवार कला, पोस्ट बुसौल तहसील एवं थाना सेमरिया, जिला रीवा (म.प्र.)

---**आवेदक/निगरानीकर्ता**

विरुद्ध

अंगद जायसवाल आत्मज भगवानदीन जायसवाल,उम्र 55 वर्ष, पेशा कृषिकार्य,निवासी गहिलवार कला,पोस्ट बुसौल तहसील एवं थाना सेमरिया, जिला रीवा (म.प्र.)

-------**अनावेदक/गैरनिगरानकर्ता**

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार तहसील सेमरिया जिला रीवा,रा.प्र.क्र.-64/17-18 मे पारित आदेश दिनांक 24/03/2018 मे किया गया।

निगरानी अन्तर्गत धारा50म.प्र. भू.रा.संहिता 1959

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

अनावेदक/ गैरनिगरानीकर्ता द्वारा 36/1ख रकवा0.012 हेक्टेयर स्थित ग्राम गहिलवार पटवारी हल्का बसौल क्र.3 रा.नि. मं. सेमरिया तहसील सेमरिया जिला रीवा की आराजी मे सीमांकन हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, उसी के बगल मे 36/1 अंश रकवा 30X30वर्गफिट निगरानीकर्ता का लगभग 60-70 वर्षो से लगातार कब्जा दखल होकर उपयोग उपभोग कर रहा है, उसी भूमि पर निगरानीकर्ता का पूरा निस्तार व शौचालय बना हुआ है एवं निगरानीकर्ता के पिता द्वारा उस पर बाउण्ड्री का निर्माण कराकर पेड पौधे भी लगाये गये थे, जिस पर स्टाम्प कलेक्टर रीवा द्वारा अर्थदण्ड वर्ष 1966-67 मे अधिरोपित किया गया था, जिसका भुगतान भी निगरानीकर्ता के पिता धर्मदास जायसवाल द्वारा कर दिया गया था। गैर निगरानीकर्ता द्वारा अवैधानिक तरीके से दिनांक 24/03/2018 को सीमांकन कराया गया है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय का आदेश

शिवमूरत जायसवाल

376

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

प्रकरण क्रमांक II/निग0/रीवा/भू—रा0/2018/02357 जिला—रीवा

शिवमूरत जायसवाल/अंगद जायसवाल

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए0एल0 जायसवाल उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील सेमरिया के प्रकरण क्रमांक 64/अ—12/2017—18 में पारित आदेश दिनांक 24.03.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरूद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को अनुविभागीय अधिकारी, तहसील सेमरिया, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	